



झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर (साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी कैम्पस),
सिरखा टोली, नामकुम, राँची – 834010 (झारखण्ड)

पत्रांक –

/राँची, दिनांक–

प्रेषक,

कुलसचिव (प्र०),
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
नामकुम, राँची।

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
बी०आई०टी० सिन्दरी, धनबाद,
पी०पी०पी० मोड पर संचालित सभी अभियंत्रण संस्थान,
सभी गैर-राजकीय अभियंत्रण संस्थान।

विषय:— शैक्षणिक वर्ष 2021–22 हेतु अभियंत्रण संस्थानों में **M. Tech., M.C.A. एवं M.B.A.** पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थियों द्वारा ऑन-लाईन (**Online**) भरे जाने वाले निबंधन आवेदन पत्र को अनुमोदित/अस्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष– 2021–22 में स्नातकोत्तर डिग्री अभियंत्रण पाठ्यक्रम (Master Degree Engineering Course) अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में नियमित सेमेस्टर/वार्षिक योजना के अन्तर्गत प्रथम सेमेस्टर/वर्ष में नामांकित विद्यार्थियों का निबंधन से संबंधित कार्य दिनांक– 03/03/2022 से किया जाना है।

2. इस निमित्त निबंधन आवेदन पत्र का प्रपत्र, विश्वविद्यालय के अधिकृत कार्यकारी वेबसाइट www.jutranchi.ac.in पर भारित (Upload) है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा सभी संबंधित प्रविष्टियों को काफी ध्यान पूर्वक एवं सही तरीके से भरा जाना है।

3. निबंधन के लिए विद्यार्थियों द्वारा निबंधन आवेदन पत्र में निबंधन शुल्क से संबंधित जमा की गई राशि का विवरण भी अंकित किया जाना अनिवार्य है। निबंधन शुल्क बैंक चालान के माध्यम से (Punjab National Bank के खाता संख्या – 1842050000532 में) जमा किया जाना है। निबंधन शुल्क की राशि निम्नवत् है:–

(क) निबंधन शुल्क – ₹0 700/–

(ख) निबंधन शुल्क (विलम्ब शुल्क सहित)– ₹0 900/–

4. यदि किसी नामांकित विद्यार्थी/विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के समय ही संस्थान में नामांकन शुल्क के साथ निबंधन शुल्क जमा कर दिया गया है तो वैसे मामले में नामांकित संस्थान द्वारा समेकित रूप से बैंक ड्राफ्ट (ड्राफ्ट, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के नाम से तथा राँची में भुगतये) के माध्यम से विश्वविद्यालय में राशि संबंधित विद्यार्थी/विद्यार्थियों की सूची सहित जमा की जा सकती है। उस राशि से आच्छादित होनेवाले विद्यार्थी/विद्यार्थियों द्वारा निबंधन आवेदन पत्र/पत्रों में समान बैंक ड्राफ्ट संख्या अंकित करना होगा।

5. विद्यार्थियों द्वारा ऑन-लाईन (**Online**) निबंधन आवेदन पत्र को दिनांक – 08/03/2022 तक विलम्ब शुल्क रहित तथा दिनांक – 10/03/2022 तक विलम्ब शुल्क सहित जमा किया जाना है।

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक - 10/03/2022 के बाद निबंधन आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. संस्थान प्रमुख द्वारा नामांकित विद्यार्थियों की पहचान, ऑन-लाईन (Online) निबंधन आवेदन पत्र में Scanned फोटोग्राफ से मिलान कर एवं संतुष्ट होने के उपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये "Online Registration" के निमित्त Format को दिनांक - 12/03/2022 तक विधिवत अनुमोदित/अस्वीकृत किया जाना है। झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची द्वारा "Online Registration" के लिए Login ID एवं Password संस्थान को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है। सुरक्षा कारणों से इसे किसी के साथ Share नहीं करें तथा Password को समय-समय पर बदलना आवश्यक है, Password Leak होने की जिम्मेवारी संस्थान को होगी। दिनांक - 12/03/2022 के बाद "Online Registration" को Lock कर दिया जायेगा। सुलभ प्रसंग के लिए "Online Registration" हेतु संस्थान के लिए User Guidelines विश्वविद्यालय के अधिकृत कार्यकारी वेबसाईट के "Gyanjyoti" link पर उपलब्ध है।

7. "Gyanjyoti" link पर Students Corner के नीचे Registration के button पर Click करने के बाद Student को ID Field में अपने Email ID को तथा Password Field में Date of Birth को भरा जाना है। इसके उपरान्त Course Type (B.Tech./ Diploma) Select कर Sign Up/ Sign In किया जा सकता है। Sign Up/Sign In करने के बाद Registration Application Form को भरकर उसका Print Out निकाल कर संबंधित संस्थान में ससमय जमा किया जाना है। निबंधन के संबंध में किसी भी संशय/दुविधा की स्थिति में श्री मनोज कुमार नायक, उच्चवर्गीय लिपिक, मोबाईल संख्या- 7870730577 पर कार्य दिवस समय 10:00 AM to 05: PM तक सम्पर्क किया जा सकता है।

8. संस्थान द्वारा अपने Login ID एवं Password की मदद से Login करने के बाद Students द्वारा submit किये गये Registration Application Form को Registration Section में जाकर सभी प्रविष्टियों की जाँच करते हुए Approve / Disapprove किया जाना है। विद्यार्थियों द्वारा भरे गये Registration Application Form में किसी भी तरह की गलती/गलतियों को सुधारने के पश्चात ही उसे Approve करें। दिनांक - 11/03/2022 से 12/03/2022 तक की अवधि में Registration Application Form को Approve / Disapprove किया जा सकता है। विद्यार्थियों के विवरण का गलत सत्यापन के लिए संस्थान को पूरी तरह से जिम्मेवार समझा जायेगा। संस्थान से अनुमोदित (Approve) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निबंधन संख्या आवंटित करते हुए निबंधन संख्या सूची संस्थान प्रमुख को भेजा जायेगा।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

कुलसचिव (प्र0),

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
राँची।

/राँची, दिनांक- 25/03/2022

ज्ञापांक: JUT-705/2021/217

- प्रतिलिपि: - 1. निदेशक (तकनीकी शिक्षा), उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड मंत्रालय, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. पी0एम0यू0 शाखा, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कुलसचिव (प्र0),

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
राँची।